

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, सूचना भवन, पटना।

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

सचिव-सह-वाणिज्य कर आयुक्त,
वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक.....5/9/13

विषय :- विभिन्न अधिनियमों के अधीन नियम/उप नियम/विनियम/परिनियम/विधि /उप विधि का गठन एवं उन्हें विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में विधि विभागीय पत्रांक-166/लेज दिनांक 22.08.2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि अभी तक वांछित सूचना/सहमति विधि विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 23.08.2013 को विधान सभा में प्रत्यायुक्त विधान समिति की एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में संबंधित विभागों के सचिव/प्रधान सचिव के साथ एक बैठक कर त्वरित कार्य की समीक्षा की जाय और इसके कार्यान्वयन हेतु एक इनैबलिंग एक्ट बनाने के संबंध में संबंधित विभाग की सहमति भी प्राप्त की

(क०प०उ०)

जाय। उक्त के कार्यान्वयन हेतु सचिव-सह-विधि परामर्शी के (पुराना सचिवालय) कार्यालय कक्ष में दिनांक 26.09.2013 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में एक बैठक का आयोजन सुनिश्चित हुआ है।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित अधिनियमों की समीक्षा कर उक्त प्रावधान एवं उसपर एक इनैबलिंग एक्ट बनाने के संबंध में सहमति के बिन्दु पर विमर्श हेतु निर्धारित तिथि/समय पर बैठक में शामिल होने की कृपा की जाय।

सहज प्रसंग के लिए उक्त अधिनियमों की सूची अपेक्षित विवरणी सहित विधि विभागीय वेबसाइट सं.-Law.bih.nic.in पर उपलब्ध है जिसे आवश्यकतानुसार डाउनलोड कर लिया जाय तथा अपने स्तर से भी आश्वस्त हो लिया जाय कि आपके विभाग में ऐसा कोई अधिनियम छूट नहीं गया हो, जिसमें नियमावली बनाने अथवा उन्हें सदन के पटल पर रखने का प्रावधान नहीं है। यदि समीक्षा के क्रम में ऐसा पाया जाता है तो उसे भी सूची में शामिल कर लिया जाय।

विश्वासभाजन



(उज्ज्वल कुमार दूबे)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं०-.....172...../लेज, पटना, दिनांक 5/9/13.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार से अनुरोध है कि विधान सभा में प्रत्यायुक्त विधान समिति की बैठक दिनांक 23.08.2013 के आलोक में लिए गये निर्णय की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में कृपया आप भी उपस्थित होने का कष्ट करें।



(उज्ज्वल कुमार दूबे)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।